महत्वपूर्ण एवं खास

गर्मी को देखते हुए राहगीरों के लिए पुलिस ने लगाया प्याऊ

रायगढ़। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए जिले के कई स्थानों पर राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए प्याऊ घर खोले गये हैं। इसी कड़ी में चक्रधरनगर पुलिस द्वारा थाना के सामने मुख्य मार्ग पर प्याऊ का शुभारंभ किया गया है। प्याऊ में पहले दिन थाना चक्रधरनगर के पुलिकर्मियों ने राहगिरों को ठंडा पानी पिलाया। आने वाले दिनों में नवतपा को देखते हुए व्यस्तम रास्ते पर पुलिस की प्याऊ व्यवस्था को रहवासियों द्वारा पुलिस की अच्छी पहल बताया जा रहा है।

सारंगढ़ में आज दिव्यांगों के लिए होगा मेडिकल कैंप

सारंगढ़ बिलाईगढ़। सिविल अस्पताल सारंगढ़ में 11 मई द्वितीय शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मेडिकल कैंप किया जाएगा। ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र नही बना है , वे आधार कार्ड की फोटो कॉपी और दिव्यांगता दिखता हुआ 2 पासपोर्ट फोटो के साथ उपस्थित होकर अपना परीक्षण करवा कर लाभ प्राप्त करें। इसमें दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए छूटे हुए दिव्यांगों का जांच, आंकलन और यूडीआइडी पोर्टल में रजिस्टर्ड होगा, जिनके प्रमाण पत्र बन जाने से सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसमें शिशु, नेत्र, अस्थि (हड्डी) और ऑडियो लॉजिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर और उनके सहयोगी उपस्थित रहेंगे। इससे दिव्यांग सहित आम नागरिकों को इलाज में सुविधा और दिव्यांग को दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने में सुविधा मिलेगा। जिन दिव्यांग का पूर्व में दिव्यांग प्रमाण पत्र बन चुका है, उन दिव्यांग लोगों को इस शिविर में आने की जरूरत नहीं है। शिविर में अन्य कोई प्रमाण पत्र या सामग्री का वितरण नहीं किया जाएगा। इस शिविर में आए सभी लोग, बच्चों के बीमारी, नेत्र, अस्थि (हड्डी) और कान से जुड़े बीमारी का जांच करा सकते हैं।

18 वर्ष से कम आयु के लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह कानूनन अपराध

सारंगढ़-बिलाईगढ़। लड़की के 18 वर्ष और लड़के का 21 वर्ष पूर्ण होने के बाद शादी किया जा सकता है।समाज में अभी भी कहीं कहीं आयु का निर्धारण किए बिना चोरी छिपे शादी की जाती है। ऐसे नाबालिग 18 वर्ष से कम आयु के लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह कानूनन अपराध है। यह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे नाबालिग विवाह के रोकथाम के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजर को प्रतिषेध अधिकारी है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में ऐसे बाल /नाबालिग विवाह के रोकथाम के लिए अपने नजदीकी पुलिस थाना, जिला बाल संरक्षण अधिकारी रायगढ़ (मो नंबर 9165584847) और बलौदाबाज़ार भाटापारा (मो नंबर 7898959283) से संपर्क किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि अक्षय तृतीया जैसे विशेष विवाह लग्न में ऐसे विवाह होने की संभावना ज्यादा होता है।

10-10 किलो के दो आईईडी बरामद

दंतेवाड़ा-रायपुर (आरएनएस)। अरनपुर इलाके में सर्चिंग के लिए निकले सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा फोर्स को उड़ाने के लिए लगाए गए 10-10 किग्रा के 2 आईईडी बरामद किया है। फोर्स की सजगता के चलते फोर्स एक बड़े हादसे से बच गया है। बता दें कि डीआरजी और बस्तर फाईटर दन्तेवाड़ा के बल द्वारा गुरुवार 9 मई को एरिया सर्चिंग के लिए थाना अरनपुर क्षेत्र में निकले थे। इसी दौरान पुलिस बलों ने ग्राम समेली से बेंरम जाने वाले रास्ते में एक 10-10 किग्रा का आईईडी और अरनपुर से पोटाली जाने वाले रास्ते में प्लांट किया गया था, जिसे बरामद किया है। वहीं इन आईईडी को बीडीएस दन्तेवाड़ा द्वारा सतर्कता पूर्वक ब्लास्ट कर डिस्पोज किया गया।

ओडिसा सीमा पर मुठभेड़, एक नक्सली ढ़ेर

गरियाबंद-रायपुर (आरएनएस)। गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुए मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ है। बताया जा रहा है कि गरियाबंद जिले के लगे ओडिसा सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई. गोली लगने से एक नक्सली की मौत हो गई. शोभा थाना क्षेत्र के गरिबा के जंगल से लगे सीमा पर नवरंगपुर पुलिस और ओडिसा एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है। मिली जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में नक्सली होने की सूचना पर बीती रात सुरक्षा बलों की टीम ऑपरेशन पर निकली थी, इसी दौरान नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई, मुठभेड़ के दौरान कई राउंड गोलियां चलने के बाद सीजी सीमा की ओर नक्सली भागे. इस दौरान टीम ने फायरिंग की. गोली लगने पर एक नक्सली ढेर हो गया. पुलिस की टीम ने दैनिक उपयोगी और विस्फोट के कई सामान भी बरामद किया है. अभी भी मौके पर जवान मौजूद हैं।

कलेक्टर गोयल ने मेरिट के छात्र-छात्राओं को किया सम्मानित

❑ बच्चों संग ली सेल्फी एवं उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने कलेक्ट्रेट कक्ष में माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम पश्चात मेरिट लिस्ट में शामिल जिले के कुमारी करुणा कैवर्त, बबीता पटेल एवं कृष भारद्वाज को आज अपने कक्ष में पुष्प गुच्छ, स्टेशनरी प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर एसपी दिव्यांग पटेल, सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव उपस्थित रहे।

कलेक्टर गोयल ने कहा की अच्छे पढऩे वाले बच्चे हमेशा बेहतर मुकाम पाते हैं, उन्होंने सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा की अच्छे से पढ़ाई करें। उन्होंने दसवीं बोर्ड की मेरिट कुमारी बबीता पटेल एवं करुणा केवर्त को कहा कि और बेहतर पढ़ाई करें और बारहवीं बोर्ड में मेरिट में आकर जिले का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन करें। कलेक्टर गोयल ने कृष भारद्वाज को कॉलेज स्तर पर इसी प्रकार उत्कृष्ट पढ़ाई जारी रखने को कहा। उन्होंने छात्र-छात्राओं से कहा कि पढ़ाई से अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर प्रशासन आपकी हरसंभव मदद करेगा। इस दौरान उन्होंने उन स्कूलों के शिक्षकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि बच्चों की मेहनत के साथ आपकी मेहनत के कारण आज बच्चे स्कूल और जिले का नाम रोशन किए है। इस दौरान कलेक्टर गोयल बच्चों के अभिभावक से मिले और कहा कि बच्चे पढ़ाई में बेहतर है, खूब पढ़ाए।

मेरिट लिस्ट में राज्य स्तर पर 10 वां स्थान अर्जित करने वाली शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल तेलीपाली बबीता पटेल ने कहा कि उनकी इस सफलता में टीचर, परिजन का विशेष सहयोग रहा। टीचर्स द्वारा परीक्षा से पूर्व परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करना है, बताया गया जो काफी मददगार साबित हुआ वह आगे भविष्य में आईएएस बनाना चाहती हैं।

इसी प्रकार महेन्द्र सिंह पटेल मेमोरियल आदर्श हायर सेकेण्डरी स्कूल नंदेली की छात्रा करुणा कैवर्त ने बताया कि स्कूल के साथ सेल्फ स्टडी कर इतना अंक अर्जित की हूं, जिसमें शिक्षकों के साथ परिवार का पढ़ाई में मनोबल बढ़ाने के लिए काफी सहयोग रहा। वह बारहवीं में बायो लेकर पढऩे की इच्छा जाहिर की। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जूटमिल के 12 वीं के छात्र कृष भारद्वाज ने कहा कि उनके अभिभावक पढ़ाई को लेकर हमेशा मोटिवेट करते रहें। इसके साथ ही शिक्षकों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा, जो हर शंकाओं को दूर करते रहे और बेहतर गाइड के बदौलत आज इतने अच्छे अंक अर्जित कर पाए हैं। वे आगे प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते है।

कलेक्टर गोयल ने बच्चों और अभिभावक संग ली सेल्फी

कलेक्टर गोयल ने कहा कि आपके लिए यह पल जितना महत्वपूर्ण हैं, उतना ही मुझे खुशी का अहसास कराता हैं। आपके साथ बिताये पल पुरानी यादें ताजा करती है। इस दौरान उन्होंने अपना मोबाइल निकल कर बच्चे और उनके अभिभावक के साथ सेल्फी भी ली।

ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए प्रात: 7 से 11 बजे तक हो रहा आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन

❑ विभागीय अधिकारी कर रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों का नियमित निरीक्षण

रायगढ़

शासन के निर्देशानुसार गर्मियों को देखते हुए प्रात: 7 बजे से 11 बजे तक आंगनबाडी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी नियमित रूप से आंगनबाड़ी केन्द्रों का नियमित निरीक्षण कर रहे है। जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी तथा परियोजना अधिकारियों के द्वारा लगातार आंगनबाडी केन्द्रों का भ्रमण करने से आंगनबाडी कार्यकर्ताएं भी सजग होकर कार्य कर रही हैं तथा विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी हितग्राहियों को मिलने लगा है। लगातार हो रहे भ्रमण एवं निरीक्षण के कारण कही कोई शिकायतें मिल रही है तो उसका त्वरित निराकरण किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी एल.आर. कच्छप ने बताया कि प्रतिमाह प्रति परियोजना कम से कम 50 आंगनबाडी केन्द्रों का भ्रमण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अनुपस्थित आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका को नोटिस जारी कर उनके मानदेय में कटौती करने के निर्देश परियोजना अधिकारियों को दिया गया है। अधिकारियों के द्वारा नियमित निरीक्षण करने से केन्द्र संचालन में सुधार हो रहा है और समय पर आंगनबाडी केन्द्रों को खोला जा रहा है तथा बच्चों की उपस्थिति में भी काफी सुधार आया है। सपोर्टिव सुपरविजन को आधार बनाकर आंगबनाडी केन्द्रों का निरीक्षण किया जा रहा है।

10 मई से 15 जुलाई तक रायगढ़ जिला जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित

❑ सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा

❑ नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन हेतु संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से लेनी होगी अनुमति

❑ नियमों के उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या एजेंसी के ऊपर होगी कार्यवाही

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने छ.ग.पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रायगढ़ संपूर्ण जिले को 10 मई 2024 से 15 जुलाई 2024 तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत रायगढ़ जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन शासकीय एजेंसी जैसे-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगर पालिक निगम, नगर पालिक परिषद एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराये गये नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा। उक्त अनुक्रम में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से विधिवत अनुमति की आवश्यकता होगी। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता होगी।

कलेक्टर गोयल द्वारा जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत नलकूप खनन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए एसडीएम को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनमें रायगढ़ के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए एसडीएम रायगढ़, खरसिया के लिए एसडीएम खरसिया, घरघोड़ा के तहत आने वाल क्षेत्र के लिए एसडीएम घरघोड़ा, धरमजयगढ़ के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए एसडीएम धरमजयगढ़, लैलूंगा क्षेत्र के लिए एसडीएम लैलूंगा एवं पुसौर के तहत आने वाले क्षेत्र के एसडीएम पुसौर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त प्राधिकृत अधिकारी अपने-अपने कार्य क्षेत्र में छ.ग.पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे। यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट करने वाले दो युवकों को घरघोड़ा पुलिस ने किया गिरफ्तार

❑ आरोपियों से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार और बाइक जब्त कर पुलिस ने हत्या के प्रयास अपराध में भेजा रिमांड पर

रायगढ़

घरघोड़ा पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मचारी पर आपसी रंजिश में गाली गलौच मारपीट कर चाकू से चोंट पहुचाने वाले दो युवकों को हत्या के प्रयास अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

घटना के आहत - दिलीप प्रसाद पिता विरेन्द्र प्रसाद उम्र 37 वर्ष निवासी जगन्नाथ मंदिर के पास बी.टी.एम. कॉलोनी थाना बी.टी.एम. कॉलोनी जिला झारसुगड़ा (उडिसा) हाल मुकाम गोमती पेट्रोल पंप घरघोड़ा द्वारा थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि पिछले 06 वर्षों से गोमती पेट्रोल पंप में मैनेजर एवं सेल्समेन का कार्य कर रहा है। 08 मई को घरघोड़ा साप्ताहिक बाजार होने से पंप में भीड़ थी, शाम करीब 06-07 बजे एक काला रंग के हीरो स्प्लेण्डर प्लस मोटर सायकल में घरघोड़ा निवासी बिट्टू एवं शैलेष आये और जल्दी हमारे मोटर सायकल में पेट्रोल डालो कहकर बेवजह गाली गलौच कर रहे थे जिन्हें पेट्रोल पंप के संचालक आकर समझाये। उसके थोड़ी देर बाद फिर दोनों पंप आये और गाली गलौच कर रहे थे जिन्हें पंप संचालक की पत्नी ने भगाया। रात्रि लगभग 09.40 बजे वापस बिट्टू और शैलेष पेट्रोल पंप आये और दिलीप प्रसाद को जान से मारने की नियत से नुकीला व धारदार लोहे के हथियार से वार किये जिससे दिलीप के बांये पसली में चोंट आया। आहत के रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में आरोपियों पर अप.क्र. 165/2024 धारा 294,506,307,34 भा.द.वि. कायम किया गया।

घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक अमित तिवारी द्वारा आहत, गवाहों का कथन लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और आहत का मेडिकल कराकर रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में धारा 324 भा.द.वि. जोड़े। आहत, गवाहों के बयान पर पुलिस ने तत्काल दोनों आरोपी (1) विवेक पैंकरा उर्फ बिट्टू पिता लखेराम पैंकरा उम्र 20 वर्ष सा. वार्ड क्र. 09 नावापारा घरघोड़ा, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) (2) शैलेष चैहान उर्फ दादू पिता स्व. राकेष चैहान उम्र 21 वर्ष सा. वार्ड क्र. 06 शैतान चैक घरघोड़ा, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) को शैतान चौंक पर हिरासत में लिया गया जिनके मेमोरंडम पर एक बिना नंबर काला रंग का हीरो स्प्लेण्डर मोटर सायकल और एक चाकू जप्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को आज घरघोड़ा पुलिस ने न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमांड लिया गया है, दोनों आरोपियों को जेल वारंट पर जेल दाखिल किया गया है।

एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन पर आरोपियों की तत्काल पतासाजी गिरफ्तारी में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक अमित तिवारी एवं हमराह स्टाफ की विशेष भूमिका रही है।

पशुओं के बीमार होने पर डायल करें हेल्पलाइन 1962

❑ पशु मोबाइल मेडिकल एम्बुलेंस घर पहुंच सेवा प्रदान करेगा

सारंगढ़ बिलाईगढ़

पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित और छत्तीसगढ़ सरकार के पशुधन विकास विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई संचालित है, जिसके लिए हेल्पलाइन 1962 डायल करके पशु चिकित्सा के लिए अपना जानकारी देना होगा, जिसके बाद पशुधन मालिक के दरवाजे पर 1962 वाहन डॉक्टर सहित समय पर उपचार प्रदान करेगा।

1962 डायल के बाद जांच प्रक्रिया:

जब दिन के किसी भी समय 1962 आपातकालीन सेवा केंद्र पर पशुधन मालिक से इमरजेंसी कॉल प्राप्त होता है, तो पूछकर बेसिक जानकारी प्राप्त किया जाता है और कॉल करने वाले को उनके निकटतम सरकारी मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक/एम्बुलेंस, अस्पताल तक जानकारी प्रसारित की जाती है। कॉल सेंटर में पशु चिकित्सक आपातकाल के प्रकार का पता लगाता है और या तो ऑनलाइन मेडिकल डायरेक्शन (ओएलएमडी) प्रदान करता है या एम्बुलेंस भेजता है। पशु चिकित्सक के साथ एम्बुलेंस पशुपालक के दरवाजे तक पहुंचती है, बीमार मवेशियों की स्थिति का आकलन करती है और मौके पर ही उपचार प्रदान करती है। इस 1962 सुविधा के लिए राज्य शासन से कई कंपनी ने आपात सेवा देने के लिए अनुबंध किया है, जिसके तहत वे निरंतर काम कर रहे हैं।

आर्टिफिसियल ज्वेलरी निर्माण का निशुल्क प्रशिक्षण 13 मई से प्रारंभ

सारंगढ़-बिलाईगढ़

रायगढ़ एवं सारंगढ़ -बिलाईगढ़ जिले के ग्रामीणों के लिए 13 मई से शुरू होने वाले आर्टिफिसियल ज्वेलरी निर्माण के निशुल्क प्रशिक्षण के लिए पंजीयन वाट्सअप नंबर 7974942078 में किया जा सकता है।

भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, रायगढ़ में आर्टिफिसियल ज्वेलरी निर्माण का 13 दिवसीय निशुल्क प्रशिक्षण 13 मई 2024 से प्रारंभ किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिये पंजीयन प्रारंभ हो चुका हैं। इस प्रशिक्षण के लिये रायगढ़ एवं सारंगढ़ -बिलाईगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के शिक्षित बेरोजगार युवक, युवती एवं महिला, पुरुष को प्रशिक्षण दिया जाना हैं। प्रशिक्षण में भाग लेने के लिये उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष एवं कम से कम 08 वीं पास और 12वी पास होना अनिवार्य हैं। प्रशिक्षणार्थी अपने साथ अंकसूची, आधार कार्ड, गरीबी रेखा राशन कार्ड, बैंक पासबुक एवं 05 रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो लेकर भारतीय स्टेट बैंक गामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान टी.वी. टॉवर रोड़ क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र के पीछे छोटे अतरमुड़ा रायगढ़ में पंजीयन करा सकते हैं। प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी के लिये इस नम्बर पर वाट्सअप करके पंजीयन करा सकते हैं। वाट्सअप नंबर 7974942078,8656919787,7999984982 में संपर्क कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान रहना,खाना एवं सीखना पूर्णतः निःशुल्क हैं। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये 35-35 सीट निर्धारित हैं।

बोर्ड में सफल छात्रों को शिक्षा मंत्री ने दी बधाई

रायपुर । आरएनएस

गुरुवार को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने परीक्षा में उत्तीर्ण सभी परीक्षार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। साथ ही असफल परीक्षार्थियों को धैर्य रखने और निरंतर प्रयास करने की सलाह दी।

अग्रवाल ने कहा कि, परीक्षाफल केवल हमारे प्रयासों का प्रतिबिंब मात्र है. यह हमारी क्षमता या बुद्धिमत्ता का पूर्ण माप नहीं है। यह हमें समझने में मदद करता है कि हमने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, किन क्षेत्रों में हम मजबूत हैं और किनमें सुधार की आवश्यकता है। वास्तविक जीवन में सफलता कठिन परिश्रम, लगन, दृढ़ता और अनुकूलन क्षमता से प्राप्त होती है। जिन परीक्षार्थियों को किसी कारणवश सफलता नहीं मिली उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। असफलता हमें पूर्ण विश्वास के साथ अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। आप सभी अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित रखें, सीखते रहें, और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। यही सच्ची सफलता की कुंजी है। अग्रवाल ने कहा कि, वो ईश्वर से कामना करते हैं कि, सभी परीक्षार्थी अपने जीवन में मनवांछित सफलता प्राप्त करें। इस वर्ष 10 वीं में 75.61 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए जिनमे 79.35 फ़ीसदी बालिका और 71.12 फ़ीसदी बालक उत्तीर्ण हुए । जबकि 12वीं में 80.74 फ़ीसदी परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए जिनमें 83.72 प्रतिशत बालिका और 76.91 प्रतिशत बालक शामिल है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480